

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

कार्यालय:- जिला कृषि पदाधिकारी, गढ़वा।
पता- संयुक्त कृषि भवन, पिपरा कलां, गढ़वा 822114
Email- atmagarhwa2007@gmail.com

निविदा समर्पित करने हत आवश्यक दिशा-निर्देश एवं शर्तें:-

1. GST निबंधन प्रमाण-पत्र एवं GST जमा करने से संबंधित अद्यतन जमा रसीद निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
2. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।
3. विलंब से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।
4. निविदादाता के द्वारा पैन कार्ड के साथ विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निर्माणकर्ता/प्रतिष्ठानों/प्राधिकृत एजेन्सी राष्ट्रीय/राजकीय अधिकृत आपूर्तिकर्ता का नाम देंगे। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान निविदादाता कम्पनी का अद्यतन प्राधिकार पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निर्माता कम्पनी की प्राधिकृत विक्रेता एवं एजेन्सी को इस आशय का नोटरी पब्लिक से शपथ-पत्र देना होगा उस कम्पनी/संस्थान केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या किसी अनुशांगिक इकाई द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं की गई है जॉचोपरान्त गलत पाये जाने पर निविदादाता पर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
7. निविदा से संबंधित अग्रधन की राशि मो0 5000.00 (पाँच हजार रुपये) का मूल बैंक ड्राफ्ट अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, गढ़वा के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रक्रिया उपरांत चयनित फर्म को छोड़कर अन्य सभी फर्म/संस्थान की अग्रधन से संबंधित ड्राफ्ट वापस कर दी जायेगी।
8. निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को निविदा खुलने की तिथि के समय उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
9. उपस्कर की आपूर्ति सभी करों सहित प्रति इकाई (01 Unit) सूची क्रमांक के अनुरूप उनके नाम के सामने वाले स्तम्भ में कम्प्यूटर टंकित रूप में अंकित करेंगे। निविदा में दिये गये मूल्य किसी भी परिस्थिति में बाजार मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिये। भविष्य में जॉचोपरान्त मूल्य में भिन्नता पाये जाने पर निविदादाता स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे और वे सभी प्रकार के वैधानिक कार्रवाई के भागी होंगे।
10. निविदा का तकनीकी एवं मूल्य भाग अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में समर्पित करना अनिवार्य होगा। तकनीकी भाग में निविदा रसायन, उपस्कर एवं उपकरण का नाम (क्रमांक के अनुसार) पैकिंग, फीचर एवं साईज के साथ अंकित करना होगा। साथ ही निविदादाता जिन रसायनों उपस्करों एवं उपकरणों को मूल्य भाग में शामिल रखेंगे उन्हें तकनीकी भाग मूल्य सहित (Without Price) करते हुए सूचीबद्ध करेंगे ताकि उनके द्वारा निविदत उपकरण, रसायन एवं उपस्कर की जानकारी हो सके। सफल निविदादाताओं का मूल्य भाग पर विचार किया जायेगा।
11. निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले LCC /STATE/CENTRAL/ICAR से Approved धान फसल हेतु 5 Panel Leaf Colour Chart (LCC), गेहूँ फसल हेतु 6 Panel Leaf Colour Chart (LCC) एवं मक्का फसल हेतु 6 Panel Leaf Colour Chart (LCC) होना चाहिये।
12. **अन्य शर्तें:-**
13. बिना कारण बताये निविदा आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करने का सर्वाधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं विशेष परिस्थिति में निविदा के शर्तों में संशोधन एवं शिथिल करने हेतु जिला क्रय समिति (कृषि विभाग) गढ़वा को सुरक्षित/अधिकृत होगा।
14. इस निविदा के आधार पर निर्धारित दर वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक के लिए मान्य होगा। विशेष परिस्थिति यथा ससमय आपूर्ति नहीं करने एवं गुणवत्ता निम्न पाये जाने की स्थिति में निविदा रद्द करते हुए भुगतान की प्रक्रिया लंबित रखी जायेगी।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र गढ़वा होगा।
16. सभी फसलों की LCC की गुणवत्ता जॉच करने हेतु Sample के रूप में LCC की एक-एक प्रति लाना सुनिश्चित करेंगे।


जिला कृषि पदाधिकारी

गढ़वा।